समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

चतुर्दश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र दिनांक 24 फरवरी, 2009 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 04 मार्च, 2009 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल 07 बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन महामहिम राज्यपाल द्वारा सह-समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया गया ।

माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सभा मेज पर रखा गया । सभा सचिव द्वारा महामहिम राज्यपाल से अनुमत 6 विधेयकों का एक विवरण सभा पटल पर रखा गया । 10 (दस) जन प्रतिनिधियों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2009 को वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक से सम्बन्धित तृतीय अनुपूरक विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया । तत्पश्चात् प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग का बजट भाषण हुआ ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्या, श्रीमती रेणु कुमारी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद दिनांक 25 फरवरी, 2009 से प्रारम्भ होकर 26 फरवरी, 2009 तक चला तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया, तदुपरान्त सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया । माननीय मंत्री, श्री छेदी पासवान द्वारा राज्य भण्डार निगम का 49 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा माननीय मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा राज्य वित्तीय निगम का 51 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गई ।

दिनांक 26 फरवरी, 2009 को माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा सभा के अध्यक्ष के विरूद्ध विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा, उन्हें हटाये जाने का, लाये गये संकल्प को असंवैधानिक करार देते हुए माननीय विपक्ष के ऐसे सदस्यों के विरूद्ध निन्दा का प्रस्ताव लाया गया जिन्हें सदन ने ध्वनि मत से पारित किया ।

दिनांक 27 फरवरी, 2009 को माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के तहत राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

क्रमशः.....

क्रमशः

माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा-९९ के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-३२५, दिनांक ०५ दिसम्बर, २००८, एस०ओ०-३४०, दिनांक १९ दिसंबर, २००८ एवं एस०ओ०-३४२, दिनांक १९ दिसम्बर, २००८ की प्रतियां सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर अधिनियम, १९९३ की धारा-९(४) के तहत अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-३४४, दिनांक १९ दिसम्बर,२००८ की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम, १९९६ की धारा-१२(३) के तहत बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष २००७-०८ का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पर रखी गयी ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक ०४ मार्च, २००९ को बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्त्तव्य) (संशोधन) नियमावली,२००८ की प्रति सदन पटल पर रखी गई ।

माननीय सदस्य, श्री मनोरंजन सिंह, क्षेत्र संख्या-३६ (बनियापुर) के कारा में संसीमित रहने के कारण दिनांक १४ जुलाई,२००७ से दिनांक २७ फरवरी,२००९ तक की सभी की बैठक में अनुपस्थित सदन द्वारा क्षम्य की गयी ।

वित्तीय वर्ष २००८-०९ की तृतीय अनुपूरक विवरणी में अंकित मांगे तथा उससे संबंधित बिहार विनियोग विधेयक,२००९ सदन द्वारा स्वीकृत हुई । दिनांक ०२ मार्च,२००९ को वित्तीय वर्ष २००९-१० के लिए लेखानुदान तथाउससे संबंधित बिहार विनियोग लेखानुदान विधेयक, २००९ सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकरी उपक्रमों संबंधी समिति के वर्ष २००९-१० के गठन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को प्राधिकृत करने के संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर सभा की सहमति हुइर् ।

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक ०३ मार्च, २००९ को वित्तीय वर्ष २००८-०९ के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान के तृतीय तिमाही के परिणाम की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

दिनांक ०३ मार्च, २००९ को राजकीय विधेयकों यथा-(१) बिहार विशेष न्यायालय विधेयक, २००९ (२) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,२००९ एवं (३) बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २००९ सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सत्र के दौरान कुल ९८१ प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल ६७९ प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें ३५ अल्पसूचित प्रश्न, ४३१ तारांकित प्रश्न तथा २१३ अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से ७२ प्रश्न उत्तरित हुए एवं ५५ प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । ८७ प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं इनमें से ४६५ प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले सदन में उठाये गये ।

इस सत्र में कुल ८१ निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें २८ स्वीकृत हुए एवं ५३ अस्वीकृत हुए ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण एवं अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के वाद विवाद का माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर, माननीय वित्त मंत्री का बजट भाषण तथा प्रश्नकाल का दूरदर्शन एवं रेडियों से प्रसारण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके लिए पटना दूरदर्शन एवं पटना रेडियो के पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूं । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/ कम्रचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

आगामी त्योहार होली भाईचारा प्रेम के प्रतीक का त्योहार है । उक्त अवसर पर आप सबों को तथा राज्य की जनता को बधाई देता हूं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।